



बिहार राज्य निर्वचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा./नि. 1-01/2026

1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रेषक,

कयूम अंसारी,

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वचन पदाधिकारी (स.स.),

उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स.स.),

समस्तीपुर।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वचन पदाधिकारी (स.स.),

समस्तीपुर।

विषय : हकीमाबाद प्राथमिक कृषि साख समिति लि० (पैक्स) के निर्वचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 क (1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वचन बिहार राज्य निर्वचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वचन पदाधिकारी (स.स.) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वचन पदाधिकारी (स.स.) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वचन पदाधिकारी होंगे, लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. सम्प्रति, प्राधिकार हकीमाबाद प्राथमिक कृषि साख समिति की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वचन कराना चाहता है, जिनका निर्वचन देय है।

4. विदित हो कि प्राधिकार के पत्रांक 713 दिनांक 20.03.2026 द्वारा हकीमाबाद पैक्स, प्रखंड- समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर के निर्वचन हेतु मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 13.04.2026 को किया गया था, अधिसूचना संख्या- 1053 दिनांक 28.04.2026 द्वारा मतदान कार्यक्रम निर्धारित था, किंतु

मतदाता सूची पर गंभीर शिकायत प्राप्त होने के कारण प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1324 दिनांक 27.05.2026 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम पर रोक लगाया गया।

5. मतदाता सूची विवाद के जांचोपरांत प्राधिकार के पत्रांक 1779 दिनांक 22.07.2026 द्वारा हकीमाबाद पैक्स, प्रखंड- समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर के मतदाता सूची विवाद का निष्पादन किया जा चुका है। उक्त पत्र द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के लिए कट-ऑफ तिथि 31.07.2026 निर्धारित किया गया है, केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 31.07.2026 तक समिति की सदस्यता या सह-सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) हकीमाबाद पैक्स, प्रखंड- समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर द्वारा दिनांक 03.08.2026 को तीन प्रति में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 के आलोक में “समेकित सूची” होगी, जिसमें समिति की विशेष बैठक के बाद निर्वाचन प्रस्ताव के साथ समर्पित “प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची” तथा विशेष बैठक के बाद एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व “नये बनाये गये सदस्यों एवं हटाये गये सदस्यों की सूची” भी शामिल रहेगी। यह समेकित सूची प्रपत्र- एम.1 में तैयार की जाएगी, जो समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। साथ ही प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-6 में “सह-सदस्य” होने का भी उल्लेख किया जाना है। विगत चुनाव में जो सदस्य थे, वे तबतक सदस्य ही माने जायेंगे, जबतक समिति अपने अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दे कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य है। इसमें किसी प्रकार का संदेह होने पर संदेह का लाभ सदस्य को दिया जायेगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जायेगा। यदि किसी मतदाता के बारे में “सह-सदस्य” का जिक्र नहीं है और प्रारूप मतदाता सूची में उक्त प्रविष्टि रिक्त है तो संबंधित मतदाता को “सदस्य” मान लिया जाएगा। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य/ सह-सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 (प्रारूप मतदाता सूची) में अवश्य सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र एम-1A में प्रबंधकारिणी की विशेष बैठक के बाद और प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि पूर्व अर्थात् बीच की अवधि में नये बनाये गये सदस्यों एवं कारण सहित हटाये गये सदस्यों की सूची भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय

समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।

(ii) प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका- 2 (ii) (क) के अनुपालन में समिति की विशेष बैठक के बाद समर्पित प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पूर्व में कर ली गई होगी। अतः इस समय जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक के बाद एवं कट-ऑफ तिथि के बीच की अवधि में तैयार सूची प्रपत्र- एम 1A से “समेकित सूची” की जांच प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका 2 (ii) (ख) (ग) के आलोक में की जायेगी। समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा- सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 05.08.2026 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों/ सह-सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 5 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तदनुसार सूची में सुधार करेंगे। साथ ही पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में अंकित सदस्य के नाम को सह-सदस्य के रूप में मान्यता नहीं देंगे, जब तक कि पूर्व उपकंडिका (i) के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रमाणित हो जाए कि वह व्यक्ति सह-सदस्य है। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी। प्रपत्र एम-2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

7. **हकीमाबाद पैक्स, प्रखंड- समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर** की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
1	प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	03.08.2026
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	05.08.2026
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	06.08.2026
4	आम नोटिस का प्रकाशन, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावा/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावा/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	06.08.2026
5	दावा/ आपत्तियाँ दाखिल करने एवं निष्पादन की अवधि	06.08.2026 से 17.08.2026 तक
6	दावा/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	19.08.2026

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

- (क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (घ) प्राधिकार के वेबसाइट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है।)**
- (ङ) समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भेजी जाएगी।**

उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जाएगा।

9. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र-एम 3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र- एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

11. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्यवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी समिति के अभिलेखों का अवलोकन कर इस पर निर्णय लेगा। सह-सदस्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो यह समिति का दायित्व होगा कि अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कौशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित करें कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क एवं शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा पूर्व में अपने सदस्य होने का ठोस साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

12. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6** पर देखा जा सकता है।

13. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन अपने नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो। किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

14. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-एम 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

15. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

16. दिनांक 19.08.2026 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना प्रपत्र- एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर “हाँ” अथवा “नहीं” में किया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाइट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र- एम 7 में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्रपत्र- एम 7 में ही प्राधिकार को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 20.08.2026 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


28.7.26
(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 18 27

/पटना, दिनांक

28/07/2026

प्रतिलिपि: जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर प्राथमिक कृषि साख समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1827

/पटना, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.7.26
संयुक्त सचिव।

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 06.08.2026 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- i) प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> का लॉगिन पेज open करेंगे,
- ii) ऊपर वर्णित “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” टैब पर क्लिक करेंगे,
- iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,
- iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने “View” बटन पर क्लिक करेंगे,
- v) क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,
- vi) scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

- i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),
- ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,
- iii) Scanned फाइल को pdf फाइल के रूप में save करना है,
- iv) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
- v) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

***कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाइल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View “समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) **दिनांक 06.08.2026** को निम्नरूप से किया जायेगा :-

i) होमपेज में ऊपर **“समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम”** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने **“View”** पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **“प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं”** में **“हॉ”** अथवा **“नहीं”** का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 19.08.2026** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) करेंगे :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **“समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम”** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने **“View”** पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **“अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं”** में हॉ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **“मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं”** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.....0.....